न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 85/2023

1 लक्ष्मण सिंह उम्र 70 वर्ष
2 नेकीराम उम्र 68 वर्ष
3 बनवारी लाल उम्र 66 वर्ष
4 सुरेश कुमार उम्र 57 वर्ष पुत्रगण मोठूराम जाति जाट निवासी ग्राम नावलाई तन बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर मो. 9468869615

अपीलांट

बनाम

1 अणची देवी पत्नी स्व. श्री जैसाराम
2 गोकुलराम पुत्र जैसाराम
3 मोहन सिंह पुत्र जैसाराम
4 रोशन सिंह पुत्र जैसाराम
5 सरजीत पुत्र जैसाराम
6 काना पुत्र लादू
7 भैरूराम पुत्र भोलाराम उर्फ भोलू
8 सीताराम पुत्र भोलाराम उर्फ भोलू
9 मंशा पुत्र लादू(फौत)
9/1 छोटी देवी पत्नी मंशाराम
9/2 धोकल सिंह पुत्र मंशाराम
9/3 रिछपाल राम पुत्र मंशाराम
9/4 सरदार मल पुत्र मंशाराम
9/5 भोमसिंह पुत्र मंशाराम
9/6 सुन्दर देवी पुत्री मंशाराम
9/7 राजू देवी पुत्री मंशाराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

10 छाजूराम पुत्र रामनिवास
11 सागरमल पुत्र रामनिवास
12 महेन्द्र पुत्र रामनिवास
13 हरलाल पुत्र रामनिवास
14 वेद प्रकाश पुत्र रामनिवास
समस्त जाति जाट निवासी सागर का कुआ ढाणी मंगावा की तन बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
15 बिदामी देवी पुत्री रामनिवास पत्नी अशोक जाति जाट हाल निवासी सागर का कुआ ढाणी मंगावा की तन बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
16 भगवानी पत्नी भगवान सहाय
17 ताराचन्द पुत्र भगवान सहाय
18 सुल्तान पुत्र हणमान
19 हरफूल पुत्र हणमान (फौत)
19/1 विमला देवी पत्नी हरफूल
19/2 विकास पुत्र हरफूल
20 झाबर पुत्र हणमान
21 राजू पुत्र हणमान
22 जगदीश पुत्र बालूराम (फौत)
22/1 भागली पत्नी जगदीश
22/2 रोहिताश पुत्र जगदीश
22/3 प्रदीप पुत्र जगदीश
22/4 सुमित्रा पुत्री जगदीश
22/5 पपिता पुत्री जगदीश
22/6 अनिता पुत्री जगदीश
समस्त जाति जाट निवासी सागर का कुआ ढाणी मंगावा की तन बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीक
23 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

मु.प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्ध प्रारम्भिक निर्णय व डिकी न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी महोदय श्रीमाधोपुर जिला सीकर
प्रकरण अणची देवी वगै. बनाम लक्षमण सिंह वगै.
मु.नं. 50/2019 प्रारम्भिक निर्णय व डिकी दिनांक
05.01.2023

अपील संख्या 84/2023

1 लक्षमण सिंह उम्र 70 वर्ष
2 नेकीराम उम्र 68 वर्ष
3 बनवारी लाल उम्र 66 वर्ष
4 सुरेश कुमार उम्र 57 वर्ष पुत्रगण मोठूराम जाति जाट निवासी ग्राम नावलाई तन बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर मो. 9468869615

अपीलांट

बनाम

1 अणची देवी पत्नी स्व. श्री जैसाराम
2 गोकुलराम पुत्र जैसाराम
3 मोहन सिंह पुत्र जैसाराम
4 रोशन सिंह पुत्र जैसाराम
5 सरजीत पुत्र जैसाराम
6 काना पुत्र लादू
7 भैरूराम पुत्र भोलाराम उर्फ भोलू
8 सीताराम पुत्र भोलाराम उर्फ भोलू
9 मंशा पुत्र लादू(फौत)
9/1 छोटी देवी पत्नी मंशाराम
9/2 धोकल सिंह पुत्र मंशाराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

9/3 रिछपाल राम पुत्र मंशाराम
9/4 सरदार मल पुत्र मंशाराम
9/5 भोमसिंह पुत्र मंशाराम
9/6 सुन्दर देवी पुत्री मंशाराम
9/7 राजू देवी पुत्री मंशाराम
10 छाजूराम पुत्र रामनिवास
11 सागरमल पुत्र रामनिवास
12 महेन्द्र पुत्र रामनिवास
13 हरलाल पुत्र रामनिवास
14 वेद प्रकाश पुत्र रामनिवास
समस्त जाति जाट निवासी सागर का कुआ ढाणी मंगावा की तन बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
15 बिदामी देवी पुत्री रामनिवास पत्नी अशोक जाति जाट हाल निवासी सागर का कुआ ढाणी मंगावा की तन बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
16 भगवानी पत्नी भगवान सहाय
17 ताराचन्द पुत्र भगवान सहाय
18 सुल्तान पुत्र हणमान
19 हरफूल पुत्र हणमान (फौत)
19/1 विमला देवी पत्नी हरफूल
19/2 विकास पुत्र हरफूल
20 झाबर पुत्र हणमान
21 राजू पुत्र हणमान
22 जगदीश पुत्र बालूराम (फौत)
22/1 भागली पत्नी जगदीश
22/2 रोहिताश पुत्र जगदीश
22/3 प्रदीप पुत्र जगदीश
22/4 सुमित्रा पुत्री जगदीश
22/5 पपिता पुत्री जगदीश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

22/6 अनिता पुत्री जगदीश
समस्त जाति जाट निवासी सागर का कुआ ढाणी मंगावा की तन बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीक
23 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय श्रीमाधोपुर जिला सीकर प्रकरण अणची देवी वगै. बनाम लक्ष्मण सिंह वगै. मुकदमा नम्बर 50/2019 निर्णय व डिकी दिनांक 17.05.2023

उपस्थिति :

1. श्री राधाकृष्ण स्वामी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुखदेव महला, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 5.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 50/2019 में पारित निर्णय दिनांक 05.01.2023, 17.05.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। दोनो पत्रावलियों में विवादित भूमि एवं पक्षकार एक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर

समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 ने विचारण न्यायालय में एक दावा कतैई गलत तथ्यों व कानून के खिलाफ बंटवारा व उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत कर कथन किया किया भूमि खसरा नम्बर 237, 328, 331, से 333, 335, 336, 339, 340 से 346, 381, 382, 476 से 478 कुल किता 20 कुल रकबा 8.06 हैक्टेयर वाके ग्राम नावलाई व खसरा नम्बर 810 व 812 कुल किता 2 कुल रकबा 1.95 हैक्टेयर वाके ग्राम बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के बंटवारे का दावा प्रस्तुत किया गया तथा उसने अपने अनुतोष में स्पष्ट रूप से मांग की कि वादीगण अर्थात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 को भूमि खसरा नम्बर 335 व 328 सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 327 के दक्षिणी तरफ की 0.10 हैक्टेयर भूमि छोड़कर शेष उत्तरी तरफ की 0.25 हैक्टेयर भूमि व खसरा नम्बर 336 में उतरी दिशा की 0.10 हैक्टेयर भूमि (खसरा नम्बर 337, 334, 335 एवं रास्ते से लगती हुई खसरा नम्बर 346 में दक्षिण तरफ की 0.0250 हैक्टेयर) की खातेदारी प्राप्त करने हेतु स्पेशल बंटवारे का दावा प्रस्तुत किया गया है लेकिन विचारण न्यायालय ने कानूनी प्रकिया का पालन किये बिना व बिना तनकी कायम किये व बिना साक्ष्य लिये गलत रूप से कानूनी प्रकिया का दुरूपयोग कर प्रारम्भिक निर्णय व डिकी पारित की गयी उसके पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 ने अधिनस्थ तहसीलदार व हल्का पटवारी से साज कर गलत रूप से बिना कब्जा काश्त के गलत रूप से विभाजन प्रस्ताव तैयार करवा लिया जिस पर ना तो अपीलांट को कोई नोटिस दिया गया नाही कोई सूचना दी गयी बाला–बाला वाद पत्र में अनुतोष के विपरीत जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया जिस पर अपीलान्ट की कोई आपत्ति का मौका भी नहीं दिया गया तथा नाही मौके पर अपीलान्ट व अन्य काश्तकारान के हस्ताक्षर ही करवाये गये बाला–बाला अधिनस्थ

उप-प्रवन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधि...
सीकर

तहसीलदार व हल्का पटवारी ने विधि के प्रावधानों के विपरीत अर्थात् विभाजन के तीनों सिद्धान्तों की पालना किये बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के बताये अनुसार बिना मौके पर कब्जे काश्त की जांच किये बाला–बाला विभाजन प्रस्ताव मौके के विपरित तैयार कर पेश कर दिया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई अंतिम डिक्री जारी की है। इससे व्यथित होकर यह दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 से 4/अपीलान्ट दिनांक 04.07.2019 को जरिये वकील उपस्थित हुये है। विचारण न्यायालय में दिनांक 10.07.2019 को अपीलांट द्वारा वाद का जवाब एवं काउंटर दावा प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय में दिनांक 28.09.2022 वादी ने जवाब प्रतिदावा प्रस्तुत किया है। पत्रावली दिनांक 26.12.2022 तक प्रतिवादी संख्या 8 के जवाब दावा हेतु नियत रहीं है। इसके पश्चात दिनांक 05.01.2023 को विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 8 को जवाब का अवसर प्रदान करते हुए, वादकथन जवाब दावा, प्रतिदावा एवं जवाब प्रतिदावा के आधार पर तनकीयात कायम किये बिना, उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त किये बिना सीधे ही विचाराधीन प्राथमिक डिक्री जारी की है एवं प्रतिदावा पर कोई निर्णय किये बिना तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर विचाराधीन अंतिम डिक्री जारी की है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जावें। जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। धारा 5 का लाभ प्रदान किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकालतन उपस्थिति रहीं है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत करने का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 05.01.2023 पर प्रतिवादी संख्या 1 के वकील ने सहमति के हस्ताक्षर किये है। सहमति के आधार पर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा सभी पक्षकारों को सूचित किया जाकर नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये है। विचारण न्यायालय में बाद सुनवाई विचाराधीन अंतिम डिक्री जारी की गई है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुय विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 से 4/अपीलान्ट दिनांक 04.07.2019 को जरिये वकील उपस्थित हुये है। विचारण न्यायालय में दिनांक 10.07.2019 को अपीलांट द्वारा वाद का जवाब एवं काउंटर दावा प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय में दिनांक 28.09.2022 वादी ने जवाब प्रतिदावा प्रस्तुत किया है। पत्रावली दिनांक 26.12.2022 तक प्रतिवादी संख्या 8 के जवाब दावा हेतु नियत रहीं है। इसके पश्चात दिनांक 05.01.2023 को विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 8 को जवाब का अवसर प्रदान करते हुए, वादकथन जवाब दावा, प्रतिदावा एवं जवाब प्रतिदावा के आधार पर तनकीयात कायम किये बिना, उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त किये बिना सीधे ही विचाराधीन प्राथमिक डिक्री जारी की है एवं प्रतिदावा पर कोई निर्णय किये बिना तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर विचाराधीन अंतिम डिक्री जारी की है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। ऐसी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक व अंतिम डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि दावा, जवाब दावा, प्रतिदावा एवं प्रतिदावा के जवाब के आधार पर तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 5.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी